

अ धसूचना:-

उत्तराखण्ड शासन, गृह अनुभाग-5 संख्या 1057/गग(5) 20-02(अद्रव0सै0) /2019 देहरादून: दिनांक 13 जनवरी, 2020 से राज्यपाल, भूम अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्ग्रहणवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्व साधारण की सूचना के लिये अधसूचित करते हैं कि उनका समाधान हो गया है कि लोक प्रयोजनार्थ जनपद अल्मोडा में ग्राम कटारमल परगना बारामण्डल में माउन्टेन ड्राइ वंग स्कूल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की स्थापना हेतु, अनुसूची में उल्लिखित 0.150 हैक्टेयर भूम की आवश्यकता है।

चूंकि धारा-40 के अधीन अत्यावश्यकता सम्बन्धी उपबन्धों का अवलम्ब लेते हुए उक्त अधिनियम की धारा 9 के अनुसार समुचित सरकार को सामाजिक प्रभाव निर्धारण अध्ययन कराने से छूट प्रदान करने की शक्ति दी गयी है,

अतएव, अब, राज्यपाल की यह राय है कि यह मामला अत्यावश्यक है, इसलिये यह निर्देश देते हैं, कि यद्यपि इस सम्बन्ध में कोई अधिनिर्णय नहीं दिया गया है तथापि राज्यपाल उक्त लोक प्रयोजन के लिये धारा 40 की उपधारा (1) के उपबन्धों का अवलम्ब लेते हुए निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूम को उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन अधसूचित करते हैं:-

- अनुसूची-

जिला	परगना	ग्राम	प्लॉट संख्या	क्षेत्रफल (है०)
1	2	3	4	5
अल्मोडा	बरामण्डल	कटारमल	8353	0.024
		8359	0.035	
		8360	0.026	
		8361	0.065	
		योग	0.150	

किस प्रयोजन के लिये आवश्यक है:- ग्राम कटारमल परगना बारामण्डल में माउन्टेन ड्राइ वंग स्कूल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की स्थापना के प्रयोजन के लिये।

टिप्पणी-भूम का क्षेत्रफल व अन्य विवरण कलेक्टर अल्मोडा के कार्यालय में हितबद्ध व्यक्ति द्वारा देखा जा सकता है।

ह०/-

(नितेष कुमर झा)

स चव ।

कार्यालय वषेष भू म अध्याप्ति अ धकारी, अल्मोडा।

पत्रांक /आठ०भू०अ०/ व०भू०अ०अ०/2020

दिनांक: 2020 ।

प्रति ल प:

1- जिला सूचना वज्ञान अ धकारी, अल्मोडा को इस आषय के साथ प्रेषत क उक्त अ धसूचना की वज्ञप्ति सूचना को एन०आई०सी० की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषत।

वषेष भू म अध्याप्ति अ धकारी,

अल्मोडा।